संख्या-37/2019/515/71-1-2018-जी-388/2013

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 08 मार्च, 2019

विषयः- **केन्द्र सहायतित योजना नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एण्ड मैनेजमेन्ट आफ बर्न इन्ज्यूरिज के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, एवं प्रयागराज में प्रस्तावित बर्न यूनिट के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2019/816, दिनांक 28-02-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, झॉसी, एवं प्रयागराज में बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत 60:40 फंण्डिंग पैटर्न के अनुसार राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर एवं प्रयागराज में बर्न यूनिट का निर्माण एवं संचालन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत आपके उक्त् संदर्भित् पत्र द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर एवं प्रयागराज में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन का मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त अनुमोदित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट में वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 8.70 करोड. में से केन्द्रांश की धनराशि निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	प्रायोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत, जिसकी **प्रशासकीय स्वीकृति** निर्गत् की जा रही है (रू0 लाख में)	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि जिसकी **वित्तीय स्वीकृति** निर्गत् की जा रही है। (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1.	मेडिकल कालेज, आगरा में बर्न यूनिट की स्थापना।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम।	427.30	207.90
2.	मेडिकल कालेज, प्रयागराज की स्थापना।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम।	381.49	207.90
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0	431.21	207.90

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- इस हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की लागत फिलहाल अनुमन्य नहीं की गयी है। प्रायोजना की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।

5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-07-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराए।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को कराए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में महानिदेशक स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में प्राप्त सामग्री का उपभोग/निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में विचार नहीं किया जायेगा।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त् पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 पूॅजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-74-राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा तथा प्रयागराज में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-37/2019/515(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, प्रयागराज।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 लखनऊ/ सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम।
7- संबंधित परियोजना प्रबन्धक।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।